जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलग मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302015

दूरभाष 0141–5192407

JAIPUR METRO

दिनांकः 20.03.2016

प्रेस रिलीज

होली एवं धुलन्डी के दिन भी 134 मेट्रो चलेगी

जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वो, त्योहारो एवं उत्सवो के दिनो मे जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। पन्द्रह अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, ईद, मकर सक्रांति की तरह अपनी शुरुआत के बाद 23 एवं 24 मार्च को आ रही पहली होली एवं धुलन्डी के दिन भी निर्धारित टाईम टेबिल के अनुसार सुबह 06.25 बजे से रात्रि 09.40 बजे तक बिना किसी कटौती के अनवरत 134 मेट्रो ट्रेने संचालित की जायेगी। यद्यपि कुछ पर्वो एवं त्योहारो पर अन्य मेट्रो तथा सार्वजनिक परिवहन के साधन अपनी सेवाओ मे कमी करते है।

मेट्रो प्रंबधन ने जयपुर के नागरिको से विनम्र अपील की है कि होली एवं धुलन्डी के दिन वे अपने मित्रो एवं रिश्तेदारो के संग जरुर मेट्रो मे यात्रा का आनन्द ले, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफार्मो एवं मेट्रो ट्रेनो मे रंग डालने, रंग खेलने एवं हुडदग करने की पूरी मनाही है। मेट्रो यात्री अपने साथ सुरक्षित रुप से रंग गुलाल ले जा सकेगे, लेकिन रंग एवं पानी से भरी पिचकारियाँ एवं बोतले ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रंग से सने कपड़ो से मेट्रो परिसर एवं ट्रेनो को गन्दा करना भी मना है। तथा नशाधीन स्थिति मे तो प्रवेश ही प्रतिबंधित है। मेट्रो यात्री ध्यान दे कि मेट्रो परिसरो एवं मेट्रो ट्रेनो का हर कोना सीसीटीवी केमरो की नजर मे है।

मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स) एक्ट 2002 के तहत जहाँ मेट्रो ट्रेनो एवं इसके परिसरो को गंन्दा करने पर 200 रुपया का जुर्माना निहित है, वही नशाधीन अवस्था मे पाये जाने तथा कोई भी अंशोधनीय व्यवहार एवं कार्य करने पर 500 रुपये के जुर्माने के साथ टिकिट जब्ती एवं ट्रेन से उतारने का भी प्रावधान है। गत 9 माह के मेट्रो संचालन के दौरान मेट्रो परिसरो मे थूकने एवं गंदगी करने पर 600 यात्रियो को 200 रुपये प्रति यात्री जुर्माने से उनकी रजामन्दी या उन्हे उनके इस कृत्य को सीसीटीवी केमरो से दिखाते हुए दड़ित किया जा चुका है।

जयपुर मेट्रो एवं इसकी पुलिस 23 एवं 24 मार्च होली एवं धुलन्डी के दिन मेट्रो परिसरो एवं ट्रेनो मे सघन टिकिट चेकिंग के साथ नशाधीन अवस्था मे आने वाले यात्रियो की ब्रेथलाईजर उपकरण से जाँच भी करेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी